

बिहार प्रशासनिक सेवा संघ

प्रशासनिक सेवा भवन, जवाहरलाल नेहरू मार्ग, पटना-1
(पंजीयन-633/2003)

अध्यक्ष

कृष्ण मुरारी शर्मा

☎ : 2224282(O), 2353207(R)

महासचिव

विपिन कुमार सिन्हा

☎ : 2205421(R), 9835253822(M)



उपाध्यक्ष

भगलू रजक

सोहैब अहमद

संयुक्त सचिव

केशव कुमार सिंह

केशव रंजन प्रसाद

कोषाध्यक्ष

महेश प्रसाद गुप्ता

☎ : 2232755(O), 2262597(R)

दिनांक..19...6...06.....

पत्रांक- 39

सेवा में,

सचिव,

कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग,
बिहार, पटना ।

विषय: राज्य प्रशासनिक सेवा से भारतीय प्रशासनिक सेवा में प्रोन्नति के आधार पर नियुक्ति की आयु सीमा 54 वर्ष से बढ़ाकर 56 करने के संबंध में ।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक माँग की चर्चा "संघ" द्वारा कई बार किये गये है । अखिल भारतीय प्रशासनिक/सिविल सेवा फेडरेशन द्वारा भी केन्द्रीय राज्य मंत्री, कार्मिक/ भारत के माननीय प्रधान मंत्री को अभ्यावेदन भी दिये गये है । राज्य सरकारों से इस बिन्दु पर अनुशांसा भेजने का अनुरोध अखिल भारतीय संघ द्वारा किया गया है । बिहार प्रशासनिक सेवा संघ के द्वारा इस बिन्दु पर दिनांक 19.2.2006 की आम सभा में भी चर्चा की गयी थी जिसमें माननीय मुख्यमंत्री, बिहार श्री नीतीश कुमार भी उपस्थित थे । माननीय मुख्यमंत्री द्वारा "संघ" को आश्वासन दिया गया था कि चूँकि राज्य सरकार के कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति आयु 58 वर्ष से 60 वर्ष कर दी गई है । फलस्वरूप राज्य प्रशासनिक सेवा से भारतीय प्रशासनिक सेवा में प्रोन्नति के आधार पर नियुक्ति की

बिहार प्रशासनिक सेवा संघ

प्रशासनिक सेवा भवन, जवाहरलाल नेहरू मार्ग, पटना-1
(पंजीयन-633/2003)

अध्यक्ष

कृष्ण मुरारी शर्मा

☎ : 2224282(O), 2353207(R)

महासचिव

विपिन कुमार सिन्हा

☎ : 2205421(R), 9835253822(M)



उपाध्यक्ष

भगलू रजक

सोहैब अहमद

संयुक्त सचिव

केशव कुमार सिंह

केशव रंजन प्रसाद

कोषाध्यक्ष

महेश प्रसाद गुप्ता

☎ : 2232755(O), 2262597(R)


दिनांक.....


पत्रांक-

-2-


आयु सीमा 54 वर्ष से 56 वर्ष करने हेतु बिहार सरकार की ओर से केन्द्र सरकार को अनुशंसा भेज दिया जाय । परन्तु राज्य सरकार द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गयी है ।

अतः अनुरोध है कि यथाशीघ्र इस संदर्भ में बिहार सरकार की अनुशंसा केन्द्र सरकार को भेजने की कृपा की जाय ।


(विपिन कुमार सिन्हा)
महासचिव


(कृष्ण मुरारी शर्मा)
अध्यक्ष

प्रतिलिपि - विशेष सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, बिहार एवं मुख्यमंत्री के सचिव को सूचनार्थ एव अग्रेतर कार्रवाई हेतु प्रेषित ।


(विपिन कुमार सिन्हा)
महासचिव